उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स नं0– 0135–278120
ईमेलआईडी–info@ukmc.i

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

"जनहित में निःशुल्स प्रेस विज्ञप्ति/समाचार
अल्पसंख्यक आयोग की जन–सुनवाई अदालत में संबंधित अधिकारियों के उपस्थित न होने पर नोटिस जारी

आज दिनांक 12.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे सभागार अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 16 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक श्री बलजीत सोनी, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें श्रीमती फरज़ाना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, श्री गगनदीप सिंह बेदी, श्री येशी थूप्तेन, श्री नफीस अहमद, श्री शारिक मलिक, श्री शकील अहमद, श्रीमती फरहा, श्री मेहबूब अली, श्री आसिफ खान, मा0 सदस्यगण, श्री बरकत अली, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक एवं श्री दीपा बर्त्वाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उपस्थित रहे।

सुनवाई में जनपद देहरादून के शिकायती प्रकरणों श्रीमती कमलप्रीत कौर, पत्नी श्री राजवीर सिंह, सहारनपुर रोड़, देहरादून, श्रीमती सायरा बानो, पत्नी श्री अशरफ राव, निवासी–मेहूंवाला माफी, थाना–पटेलनगर, देहरादून एवं श्री जाकिर, पुत्र मौ0 रफीक, निवासी–ब्राहमणवाला, महबूब कालोनी, देहरादून के शिकायती प्रकरणों में मा0 आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को स्वयं अथवा क्षेत्राधिकारी, सदर, देहरादून को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा स्वयं उपस्थित न होते हुए उक्त तीनों प्रकरणों में एस.आई ओमवीर सिंह को नामित किया गया, जिन्हें प्रकरण की जानकारी न होने के प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया, जिस पर ***मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा नाराज़गी व्यक्त करते हुए प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया गया*** कि भविष्य में मा0 आयोग के समक्ष सम्मन जारी अधिकारी/प्रकरण की पूर्ण जानकारी रखने वाले अधिकारी को ही अपने स्तर से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। जनपद ऊधमसिंहनगर के श्री हीरा सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी–ग्राम डोहरा सिसईखेड़ा, पोस्ट–घुसरी, तहसील–सितारगंज, जिला–ऊधमसिंहनगर व अध्यक्ष, श्री गुरदयाल सिंह तथा सचिव, श्री कारज सिंह, श्री गुरनवीत सिंह, पुत्र स्व0 श्री भगवन्त सिंह, निवासी–केशवगढ, किच्छा, गदरपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर, जनपद हरिद्वार से डॉ0 सुमित अरोड़ा, एमडीएस, निवासी–मकान संख्या–295/4, बीकानेर मिष्ठान भंडार के निकट, Le Central Hotel की पीछे, Old Ranipur More, हरिद्वार, जनपद देहरादून से श्री आफताब अली सिद्दीकी, निवासी–कारगी ग्रान्ट, बंजारावाला रोड़, चानचक चौक, देहरादून, श्री शराफत खान, पुत्र श्री शौकत, निवासी–बल्लूपुर रोड़, 112, मित्र लोक कालोनी, देहरादून, श्री फेजान अली व प्रार्थिनी जेबा परवीन, पुत्र स्व0 श्री मतलूब हसन, निवासी–मकान नं0–279 टाउन एरिया कार्यालय के पास, डोईवाला हाल निवासी–निकट आईटीपार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून श्री सुनील मैसी, स्व0 श्री ए0 मैसी, निवासी–राफेल रायडर चेशामय सेंटर, लास्ट मोहिनी रोड़, देहरादून के शिकायती प्रकरणों में संबधित अधिकारी के उपस्थित न होने तथा मा0 आयेाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जांच आख्या उपलब्ध न कराये जाने पर मा0 आयोग द्वारा नाराजगी व्यक्त कर जांच आख्या सहित अगली सुनवाई ***दिनांक 01.12.2026 को अनिवार्य रूप से मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।*** साथ ही जनपद देहरादून से श्री हरविन्दर सिंह, निवासी–चंद्रेश्वर रोड़, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून के शिकायती प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश एवं थानाध्यक्ष, ऋषिकेश के मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित न होने तथा न ही जांच आख्या, प्रतिनिधि नामित करने तथा न ही प्रकरण के संबंध में कोई पत्राचार किये जाने पर ***मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अत्यन्त खेदव्यक्त कर प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश को जांच आख्या सहित तीन दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।*** साथ ही श्रीमती कमलप्रीत कौर अरोड़ा के शिकायती प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर ***शिकायतकर्ती के आवास के सामने खडी गाड़ी को तीन दिन के अन्दर हटाये जाने की कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराये जाने के निर्देश पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर, देहरादून को दिये गये।*** इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार के श्रीमती नसीमा, पत्नी श्री शमीम अहमद, निवासी–भगवानपुर, चंदनपुर, थाना–कोतवाली, मंगलौर, तहसील–रूड़की–हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ***निर्धारित तिथि 16.11.2026 को मौके पर उपस्थित होते हुए समस्या का समाधान कराये जाने अथवा समिति की जांच आख्या के आधार पर विपक्षीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली मंगलौर को दिये गये।***

(बरकत अली)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

बलजीत सोनी
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालयः अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
टैलीफैक्सः 0135-2781201
ईमेलः info@ukmc.in, वेबसाइटः www.ukmc.in
आवासः 2, शिवालिक एन्कलेव, रेसकोर्स, देहरादून-248001
मो.: +91 9997056622

पत्रांक: 84

दिनांकः 16/11/2026

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

विषयः— उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून की जन-सुनवाई/अदालत के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न शिकायत/वाद प्रार्थना-पत्र में जन-सुनवाई अदालत के माध्यम से सुनवाई कर निस्तारण किया जाता है, जिसमें संबंधित संक्षम अधिकारियों को जन-सुनवाई अदालत में मा0 आयोग की ओर सम्मन जारी किया जाता है, किन्तु कतिपय अधिकारी स्वयं मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित न होकर प्रकरण से अनभिज्ञ व कनिष्ठतम् कर्मचारी को मा0 आयोग के समक्ष भेजकर इतिश्री कर देते है, जिससे कि वाद पत्रों/शिकायतों का निस्तारण किये जाने में कठिनाई, अनावश्यक विलम्ब व समय का दुरूप्रयोग होता है। विशेषकर कतिपय संबंधित जिले के उपजिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा स्वयं उपस्थित न होते हुए कनिष्ठतम् अनभिज्ञ कार्मिक को नामित कर देते है। यद्यपि मा0 आयोग को संबंधित के विरूद्ध उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-2002 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। ऐसे कृत्य से स्थिति असहज हो जाती है तथा वादकारी को समय पर न्याय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिससे कि वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया समस्त उपजिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने स्तर से मा0 आयोग की जन-सुनवाई अदालत बैठक में उक्तानुसार स्वयं अथवा सक्षम भिज्ञ अधिकारी को ही मा0 आयोग के समक्ष पक्ष रखते हुए सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि वादकारियों को समय पर न्याय प्रदान किया जा सके।

भवदीय,

(बलजीत सोनी)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या 84 एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स नं0– 0135–2781201
ईमेलआईडी–info@ukmc.in

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

" प्रेस विज्ञप्ति"

श्री बलजीत सोनी, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को जनपद देहरादून में मा0 आयोग की पूर्व जन–सुनवाई अदालत बैठक दिनांक 12.11.2026 के सम्बन्ध में भविष्य में आहूत अदालत बैठक में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु एक लिखित पत्र दिनांक 16.11.2026 जारी किया गया कि मा0 आयोग की ओर से सम्मन जारी किया जाता है, किन्तु कतिपय अधिकारी स्वयं मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित न होकर प्रकरण से अनभिज्ञ व कनिष्ठतम् कर्मचारी को मा0 आयोग के समक्ष भेजकर इतिश्री कर देते है। यद्यपि मा0 आयोग को संबंधित के विरूद्ध उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 की धारा–15 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। ऐसे कृत्य से स्थिति असहज़ हो जाती है तथा वादकारी को समय पर न्याय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिससे कि वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया समस्त उपजिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने स्तर से मा0 आयोग की जन–सुनवाई अदालत बैठक में उक्तानुसार स्वयं अथवा सक्षम भिज्ञ अधिकारी को ही मा0 आयोग के समक्ष पक्ष रखते हुए सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि वादकारियों को समय पर न्याय प्रदान किया जा सके।

(बरकत अली)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।